न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 09 / 2018
दायर दिनांक : 22 / 02 / 2018
निर्णय दिनांक : 20 / 12 / 2022

उनवान

1. नारायण पिता भैरूलाल लौहार निवासी चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
2. दुर्गाशंकर पिता भैरूलाल लौहार निवासी चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
3. पप्पूलाल पिता भैरूलाल लौहार निवासी चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
4. शांति पिता भैरूलाल लौहार पत्नी लच्छीराम लौहार निवासी दरीबा तहसील रेलमंगरा जिला राजसमन्द
5. कमला पिता भैरूलाल पत्नी श्यामलाल लौहार निवासी फतहनगर तह. मावली जिला उदयपुर
6. जानीबाई विधवा श्री भैरूलाल लौहार निवासी चोरवड़ी तहसील भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. प्रहलाद पिता उदयलाल मेनारिया निवासी चोरवड़ी तहसील भूपालसागर
2. कमला विधवा उदयलाल मेनारिया निवासी चोरवड़ी तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री कृष्णगोपाल झंवर

: : निर्णय : :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम चोरवड़ी तहसील भूपालसागर में पुरानी पैमाइश के आ.सं. 138 रकबा 2 बीघा भूमि है जो राजस्व रिकार्ड में विपक्षी संख्या 1 व 2 के पति के नाम पर दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजियात के पूर्व में इसी आराजियात का शेष हिस्सा, पश्चिम में लक्ष्मण पिता जीतमल मेनारिया की आराजी, उत्तर में विक्रेता विपक्षी संख्या 1 व 2 का कुआं, दक्षिण में सरकारी पडत जमीन है को तत्कालीन खातेदार उदयलाल मेनारिया ब्राहम्ण जिसके वारिसान विपक्षीगण हैं, ने दिनांक 25.05.1973 को जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र से भैरूलाल पिता देवकिशन लौहार निवासी चोरवडी को, जिसके वारिसान हम प्रार्थीगण हैं, को विकय कर कब्जा सौंप दिया जो आज दिनांक तक लगातार चला आ रहा है। उक्त ग्राम की पैमाइश हो जाने से पुराने आराजी सं. के नये नंब. 1165, 1169, 1170, 1171, 1172 बनाये गये हैं। विकेता खातेदार उदयलाल पिता सूरजमल मेनारिया फौत हो गये हैं, जिसके वारिसान विपक्षीगण व खरीददार भैरूलाल पिता देवकिशन लौहार का भी देहान्त हो गया है, जिसके वारिसान [illegible] प्रार्थीगण हैं। विकयपत्र दिनांक 25.05.1973 के आधार पर राजस्व रिकार्ड [illegible] है जबकि प्रार्थीगण का कब्जा लगातार चला आ रहा है व वर्तमान में [illegible] पर काबिज है, जिससे हम प्रार्थीगण यह घोषणा कराने के [illegible] की आ.सं. 1165, 1[illegible] 1171 हम प्रार्थीगणों के खातेदारी की है व राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी[illegible] अपना नाम दर्ज कराने अधिकारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 राजस्व रिकार्ड का नाजायज फायदा उठा हम प्रार्थीगणों को बदखली व अन्यत्र हस्तान्तरण पर उतारू है, जिससे उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना जरूरी है। अस्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करने से विपक्षीगणों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी परन्तु

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.12.22 14:35:51 IST
Reason: SelfAttested

जारी नहीं होने पर प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थीगण को सम्मन जारी कर तलब किया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री नरेन्द्र कुमार दाधीच ने अधिकार पत्र दिनांक 10.04.2018 को पेश किया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने से दिनांक 27.09.2022 को जवाब बंद किया गया तथा वकील अप्रार्थी ने पुनः दिनांक 15.12.2022 को हिदायत पैरवी नहीं करने वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सम्पूर्ण तथ्यों एवं बहस के आधार पर प्रार्थीगण के प्रार्थना के तथ्य अनुसार अप्रार्थीगण सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता है तथा उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मूल वाद संख्या 11/2018 के निर्णय तक ग्राम चोरवड़ी तहसील भूपालसागर की साबिक आ.सं. 138 रकबा 2 बीघा हाल आ.सं. 1165, 1169, 1170, 1171, 1172 रकबा 2 बीघा भूमि पर उभयपक्ष राजस्व रिकार्ड, मौके एवं कब्जे की यथास्थिति बनाई रखें। निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.12.22 14:35:51 IST
Reason: SelfAttested